

प्रेस- विज्ञप्तिथाना मुबारकपुरशादी का झांसा देकर बहला फूसला कर नाबालिंग लड़की को भगाने वाला गिरफ्तार व 24 घण्टे के अन्दर अपहृता बरामद

दिनांक 30.07.2021 को समय 20.09 बजे आवेदिका द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त ओजैफा पुत्र मो0 कौशर निवासी जमुड़ी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ मेरी पुत्री को भगा ले गया। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 147/2021 धारा 363,366 IPC विरुद्ध अभियुक्त ओजैफा पुत्र मो0 कौशर निवासी जमुड़ी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में -

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर एस0पी0 सिंह की नेतृत्व में मामले को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी हेतु लगातार दविश दी जा रही थी तभी सूचना प्राप्त हुई कि अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अपहृता को लेकर कहीं भागने के फिराक में शाहगढ़ चौराहे पर सवारी गाड़ी के इन्तेजार में खड़ा है कि सूचना पर मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा तत्परता करते हुए शाहगढ़ चौराहे के पास पर पहुंचे तो देखे कि एक व्यक्ति एक लड़की को अपना साथ में लिये शाहगढ़ चौराहे पर एकान्त स्थान पर खड़ा है इत्मिन्नान होने पर पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दविश देकर उस खड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा उसके कब्जे से अपहृता को सकुशल बरामद किया गया कि पकड़े गये व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम ओजैफा पुत्र मो0 कौशर निवासी जमुड़ी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ बताया। अभियुक्त को अपराध का बोध कराते हुए दिनांक- 31.07.2021 समय करीब 19.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0- 147/2021 धारा 363,366,376 IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)5क SC/ST Act. थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- अभियुक्त ओजैफा पुत्र मो0 कौशर निवासी जमुड़ी थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण -

1. उ0नि0 नागेश चौधरी , थाना मुबारकपुर आजमगढ़
2. हे0का0 हरेराम यादव , थाना मुबारकपुर आजमगढ़
3. हे0का0 राम प्रकाश सिंह सिंह , थाना मुबारकपुर आजमगढ़
4. म0का0 प्रियंका भारती , थाना मुबारकपुर आजमगढ़

थाना- अहरौलाचोरी की 08 कुंतल सरिया सहित 4 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.07.2021 को निजामपुर से 12 कुंतल सरिया अज्ञात अभियुक्तों द्वारा चुरा लेने के संबंध में वादी मुकदमा श्री शैलेंद्र शर्मा पुत्र सत्यदेव शर्मा निवासी ग्राम राजाजीपुरम थाना लाल कटोरा लखनऊ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 113/2021 धारा 379 IPC पंजीकृत कराई गई जिसकी विवेचना चौकी इंचार्ज माहुल उपनिरीक्षक विजय प्रकाश मौर्य द्वारा संपादित की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चोर/लुटेरों/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के निर्देशन में व थानाध्यक्ष अहरौला श्रीप्रकाश शुक्ल के कुशल नेतृत्व में चौकी प्रभारी माहुल उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराही पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 113/2021 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित माल व मुल्जिमान 04 नफर अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर अंबेडकर चौक से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों के कब्जे से 8 कुंतल सरिया बरामद हुआ। नाम पता पूछने पर 1. विपिन गौतम पुत्र अखिलेश 2- ओमप्रकाश उर्फ फौजी पुत्र श्यामलाल 3- रामअजोर पुत्र बहाऊराम 4- बृजलाल पुत्र रामअवध निवासीगण ग्राम निजामपुर थाना अहरौला आजमगढ़ बताये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 113/2021 धारा 379/411 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विपिन गौतम पुत्र अखिलेश
2. ओमप्रकाश उर्फ फौजी पुत्र श्यामलाल
3. रामअजोर पुत्र बहाऊराम
4. बृजलाल पुत्र रामअवध निवासीगण ग्राम निजामपुर थाना अहरौला आजमगढ़

बरामदगी-

1- 08 कुन्तल सरिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य थाना अहरौला आजमगढ़
- 2- उ0नि0 रामकृपाल सोनकर हमराह कां0 सुरेश सिंह, थाना अहरौला आजमगढ़
- 3- हमराह हे0का0 दाराशंकर यादव कां0 ऋषिकेश यादव, कां0 दीपनारायण यादव, थाना अहरौला आजमगढ़
- 4- कां0 विकाश यादव, कां0 अंचल सिंह, कां0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना अहरौला आजमगढ़
- 5- कां0 महेन्द्र सरोज, कां0 बृजभान यादव, महिला आरक्षी प्रियंका वर्मा थाना अहरौला आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

01 नफर वाँछित अभियुक्ता

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज दिनांक 01.08.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वाँछित /वारण्टी अपराधी रोकथाम मामूर होकर नया चौक पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मु0अ0सं0 126/2021 धारा 147/304 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्ता सलमा बानो पत्नी शेमशाद निवासी नसीरपुर बाजार में खड़ी कही जाने कि फिराक में साधन का इन्तजार कर रही हैं। थानाध्यक्ष मय हमराह इस सूचना पर विश्वास करके क्षेत्र में मामूर उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह को तलब कर नसीरपुर बाजार में पहुँचे तो एक महिला बुर्का पहने हुए रोड के किनारे खड़ी थी। जिसको महिला आरक्षी गण द्वारा नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम सलमा बानो पत्नी शमशाद निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष बतायी। नाम पता तस्दीक होने पर कारण गिरफ्तारी बताकर कि आप मु0अ0सं0 126/2021 धारा 147/304 भादवि में नामजद वाँछित अभियुक्ता हैं समय करीब 11.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता -

(1) सलमा बानो पत्नी शमशाद निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 126/2021 धारा 147/304 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- 2- उ0नि0 हृदयानन्द पाठक थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- 3- का0 संजीव सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- 4- का0 रवि प्रभाकर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- 5- का0 अरविन्द कुमार थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- 6- रि0का0 अभिषेक तिवारी थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- 7- म0का0 आरती सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।